

राजस्थान सरकार
 न्यायालय नूअभिलेख अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) बनेडा जिला - भीलवाडा
 (पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / केम्प कोर्ट) कैम्प ला० शु०

- आदेश :-

प्रार्थी के खाता दुरस्ती प्रार्थना पत्र एवं पटवारी ला० शु० व भूअनि. वेरा की रिपोर्ट तथा तहसीलदार बनेडा की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू- राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम सरदारपुरा तहसील बनेडा जिला भीलवाडा की जम्माबन्दी सम्बन्ध 2011-12 में खाता संख्या 72 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि का निम्नलिखित रूप में शुद्ध किया जाकर राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं:-

क्र. सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रेकार्ड में दर्ज की जानी है)
1.	<u>सरदारपुरा</u>	<u>72</u>	<u>शूरबानू देवी मुस्ताबुल</u>	<u>शूरबानू पति मुस्ताबुल</u>
2.	— " —	<u>93</u>	<u>शूरबानू देवी मुस्ताबुल</u>	<u>शूरबानू पति मुस्ताबुल</u>


(रतनलाल नेगर)


पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / कैम्प
 नूअभिलेख अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी)
 बनेडा जिला - भीलवाडा

क्रमांक - 356/18

दिनांक - 11/5/18

प्रतिलिपि -

1. तहसीलदार बनेडा को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद शुद्ध किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवाये।
2. प्रार्थी श्री शूरबानू पति मुस्ताबुल को सूचनाार्थ।
3. रक्षित पत्रावली


(रतनलाल नेगर)

पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / कैम्प
 नूअभिलेख अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी)
 बनेडा जिला - भीलवाडा